IJETIR

ISSN (Online) 2583-0554

International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (IJETIR)

Volume 5, Issue 9, September 2025

Impact Factor: 5.731

"भारतीय राज्यों में लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार नियंत्रण के विधिक उपाय एवं मध्य प्रदेश की स्थिति।"

Sarla Yadav[1] and Prof. (Dr.) Anushka M. Nayak[2]

Research Scholar, LNCT University, Bhopal[1]

Professor and HOD (Guide),

School of LEGAL STUDIES, LNCT University, Bhopal[2]

सारांश (Abstract)

लोक प्रशासन किसी भी लोकतांत्रिक राज्य का मेरुदंड होता है, जिसके माध्यम से नीतियाँ, योजनाएँ और नागरिक सेवाएँ लागू की जाती हैं। किंतु प्रशासनिक ढाँचे में व्याप्त भ्रष्टाचार इस तंत्र की प्रभावशीलता और जन-विश्वास दोनों को कमजोर करता है। भारत में भ्रष्टाचार नियंत्रण हेतु अनेक विधिक उपाय किए गए हैं–जैसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988; लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013; तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005। तथापि, इन कानूनों के बावजूद भ्रष्टाचार की समस्या बनी हुई है। प्रस्तुत शोध-पत्र में भारतीय राज्यों में भ्रष्टाचार नियंत्रण के विधिक उपायों का विश्लेषण करते हुए विशेष रूप से मध्य प्रदेश की स्थिति का अध्ययन किया गया है। शोध से यह निष्कर्ष निकलता है कि विधिक तंत्र की प्रभावशीलता का वास्तविक मूल्यांकन उसके क्रियान्वयन, संस्थागत दक्षता तथा राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर करता है।

Copyright to IJETIR
www.iciset.in

IJETIR
ISSN (Online) 2583-0554
International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (IJETIR)
Volume 5, Issue 9, September 2025
Impact Factor: 5.731

शब्द कुंजी : लोक प्रशासन, भ्रष्टाचार, विधिक उपाय, लोकायुक्त, लोकपाल, सूचना का अधिकार, मध्य प्रदेश।

परिचय (Introduction)

लोक प्रशासन का उद्देश्य नागरिकों को प्रभावी, पारदर्शी और उत्तरदायी शासन उपलब्ध कराना है। किंतु जब प्रशासनिक पदाधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग निजी स्वार्थ हेतु करते हैं, तो वह भ्रष्टाचार का रूप ले लेता है। भारत जैसे विकासशील देशों में यह समस्या विशेष रूप से गहरी है क्योंकि यह न केवल शासन की साख को कम करती है बल्कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को भी प्रभावित करती है। भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए भारत में अनेक विधिक एवं संस्थागत उपाय किए गए हैं। इन प्रयासों में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना, सतर्कता आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) तथा सूचना का अधिकार अधिनियम प्रमुख हैं। राज्य स्तर पर भी लोकायुक्त संस्थान गठित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य प्रशासन में ईमानदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

भारत में लोक प्रशासन एवं भ्रष्टाचार की समस्या

भारत में लोक प्रशासन एक विशाल संरचना है, जो केंद्र से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक विस्तारित है। इसमें लाखों अधिकारी और कर्मचारी जनता की सेवा में लगे हैं। किंतु इस विस्तृत ढाँचे में जवाबदेही की कमी और नियंत्रण तंत्र की कमजोरी के कारण भ्रष्टाचार के अवसर बढ़ जाते हैं। भ्रष्टाचार के मुख्य कारण हैं – प्रशासनिक अधिकारों का केंद्रीकरण, पारदर्शिता की कमी, वेतन एवं सेवा-शर्तों में असमानता, राजनीतिक हस्तक्षेप, तथा कानूनों का अप्रभावी क्रियान्वयन।

IJETIR
ISSN (Online) 2583-0554
International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (IJETIR)
Volume 5, Issue 9, September 2025
Impact Factor: 5.731

भ्रष्टाचार नियंत्रण के विधिक उपाय (Legal Measures)

1. **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम**, 1988 – यह अधिनियम सार्वजनिक पदों पर बैठे व्यक्तियों द्वारा रिश्वत लेने या देने, अनुचित लाभ प्राप्त करने तथा सत्ता के दुरुपयोग को अपराध घोषित करता है। 2018 के संशोधन द्वारा इसमें 'भ्रष्टाचार के दंड' को कठोर किया गया और 'लाभ प्राप्तकर्ता' को भी दंड के दायरे में लाया गया।
2. **लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम**, 2013 – इस अधिनियम के तहत केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना की गई। ये संस्थान उच्च पदस्थ लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जांच करते हैं।
3. **सूचना का अधिकार अधिनियम**, 2005 – RTI कानून ने नागरिकों को शासन की कार्यवाही में झाँकने का अधिकार दिया। यह पारदर्शिता सुनिश्चित करने में एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध हुआ है।
4. **केंद्रीय सतर्कता आयोग** – यह एक स्वायत्त संस्था है, जो सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार की रोकथाम और जांच की निगरानी करती है।
5. **ई-गवर्नेंस और डिजिटल पारदर्शिता** – डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन सेवाओं और ई-टेंडरिंग की व्यवस्था ने भ्रष्टाचार के अवसरों को काफी हद तक सीमित किया है।
6. **व्हिसलब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम** - यह उन व्यक्तियों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है जो भ्रष्टाचार की रिपोर्ट करते हैं, जिससे वे बदला लेने से बच सकें।
7. **धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002** - यह धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के अपराधों से संबंधित है और लोक सेवकों को इसमें शामिल होने पर दंडित करता है।
8. **बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988** - यह बेनामी लेनदेन पर रोक लगाता है, जो अक्सर भ्रष्टाचार से जुड़ा होता है।
9. **भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम** - यह उन आर्थिक अपराधियों से संबंधित है जो देश से भाग गए हैं और जिनकी संपत्ति पर नियंत्रण रखता है।

भारतीय राज्यों में विधिक उपायों का तुलनात्मक अध्ययन

विभिन्न राज्यों में भ्रष्टाचार नियंत्रण हेतु लोकायुक्त संस्थान स्थापित किए गए हैं। कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में ये संस्थान अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय हैं। महाराष्ट्र में

IJETIR
ISSN (Online) 2583-0554
International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (IJETIR)
Volume 5, Issue 9, September 2025
Impact Factor: 5.731

लोकायुक्त को विस्तृत अधिकार प्राप्त हैं और वह स्वयं जांच प्रारंभ कर सकता है। कर्नाटक में लोकायुक्त ने कई उच्च अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई कर एक मिसाल कायम की। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त ने कई बार प्रभावी जांच की है, किंतु संसाधनों की कमी और राजनीतिक हस्तक्षेप इसकी कार्यक्षमता को सीमित करते हैं।

मध्य प्रदेश की स्थिति का अध्ययन (Case Study: Madhya Pradesh)

मध्य प्रदेश में लोकायुक्त संगठन की स्थापना 1981 में की गई थी। इसका उद्देश्य लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जांच करना है। मुख्य संस्थान: मध्य प्रदेश लोकायुक्त संगठन, राज्य सतर्कता आयोग, तथा ई-गवर्नेंस पहलें जैसे CM Helpline, e-procurement, Samadhan Online। लोकायुक्त को पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं, परंतु कार्यवाही में विलंब और अभियोजन अनुमति की जटिलता प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। RTI ने राज्य स्तर पर पारदर्शिता को बढ़ाया है, परन्तु इसके दुरुपयोग के मामलों में वृद्धि भी हुई है। नागरिक सहभागिता में वृद्धि होने के बावजूद शिकायतों के निस्तारण की दर अपेक्षाकृत कम है।

विश्लेषण एवं निष्कर्ष (Analysis and Findings)

1. विधिक ढाँचा पर्याप्त है, किंतु उसका क्रियान्वयन असमान और धीमा है।
2. भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाओं में राजनीतिक हस्तक्षेप उनकी स्वतंत्रता को सीमित करता है।
3. ई-गवर्नेंस पहलें और RTI ने जन-जवाबदेही को बढ़ाया है, परंतु ग्रामीण स्तर पर जागरूकता अभी भी कम है।
4. मध्य प्रदेश में लोकायुक्त संस्थान अपेक्षाकृत सक्रिय है, किंतु प्रशासनिक व तकनीकी संसाधनों की कमी से प्रभावित है।

IJETIR
ISSN (Online) 2583-0554
International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (IJETIR)
Volume 5, Issue 9, September 2025
Impact Factor: 5.731

5. राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार को कम करने और सार्वजनिक सेवाओं में जवाबदेही बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) जैसी पहलें भी शुरू की हैं ताकि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हो सके। इस पहल के सकारात्मक नतीजे आने में समय लगेगा।

सुझाव (Recommendations)

1. लोकायुक्त और सतर्कता आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए ताकि उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित हो।
2. अभियोजन स्वीकृति (Prosecution Sanction) की प्रक्रिया सरल और समयबद्ध हो।
3. डिजिटल प्रशासन (Digital Governance) को ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित किया जाए।
4. भ्रष्टाचार संबंधी अपराधों के लिए विशेष न्यायालयों (Special Courts) की स्थापना की जाए।
5. नागरिक समाज और मीडिया की भूमिका को संस्थागत रूप से मजबूत किया जाए।

निष्कर्ष (Conclusion)

भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए विधिक उपायों की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। भारत में इन उपायों का एक विस्तृत ढाँचा विद्यमान है, परंतु इनकी प्रभावशीलता संस्थागत स्वतंत्रता, प्रशासनिक इच्छाशक्ति और जनता की भागीदारी पर निर्भर करती है। मध्य प्रदेश के अनुभव यह दर्शाते हैं कि यदि संस्थाएँ सशक्त और पारदर्शी हों, तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। अतः भविष्य की दिशा यही होनी चाहिए कि कानूनों के साथ-साथ ईमानदार शासन संस्कृति को भी प्रोत्साहित किया जाए।

IJETIR
ISSN (Online) 2583-0554
International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (IJETIR)
Volume 5, Issue 9, September 2025
Impact Factor: 5.731

संदर्भ (References)

1. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988।

2. लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013।

3. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005।

4. केंद्रीय सतर्कता आयोग की वार्षिक रिपोर्टें।

5. मध्य प्रदेश लोकायुक्त संगठन की वेबसाइट और रिपोर्टें।

6. Transparency International - Corruption Perception Index Reports।

7. भारतीय प्रशासनिक कानून से संबंधित विभिन्न ग्रंथ एवं जर्नल।